**Seventeenth Loksabha**

an>

Title: Regarding demand for appointing the Member of Parliament as head of the District fuel Committee

**श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी)**: सभापति महोदय, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद ।

महोदय, भारत सरकार का जो खनिज एक्ट है, उसके अन्तर्गत जिला खनिज निधि (डी.एम.एफ.) का प्रावधान है, जिसके माध्यम से जहां पर भी खनन होता है, वहां पर क्षेत्रीय विकास के लिए 10 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है । जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी उस पैसे को खर्च करती है । महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से दो निवेदन हैं । एक निवेदन यह है कि जो जिला खनिज कमेटी है, उसका अध्यक्ष जिलाधिकारी के बजाय सांसद को बनाया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से वे पैसे खर्च हो पाएं । माननीय सभापति महोदय, दूसरा विषय यह है कि जो 10 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है, उस पैसे की वसूली नहीं हो रही है क्योंकि उसमें प्रावधान यह है कि जिस रेट से खनिज का एलॉटमेंट होगा, उस पर टैक्स लगेगा । उस विवाद को लोग कोर्ट में ले गए, जिसके कारण जिला खनिज निधि का पैसा वसूला नहीं जा रहा है और हजारों-करोड़ों रुपये खनिज वालों पर बाकी हैं । महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस पैसे की वसूली के लिए भी नियम बनाए जाएं और इसका अध्यक्ष भी सांसदों को बनाया जाए ।